


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 488 / 2013

जिला : अलवर

उनवान : वि. गलिक मेटालॉयज प्रा०लि० बनाम एसीटीओ, सीमावर्ती उडनदस्ता, भिवाडी - I, अलवर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u></p> <p>अपीलार्थी/वकील प्रार्थी श्री कान्ति मेहता एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी/श्री कान्ति मेहता ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्झा करना चाहते हैं। इस बाबत् अपीलार्थी/ श्री कान्ति मेहता ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः अपीलार्थी/श्री कान्ति मेहता एडवोकेट का अपील को विद्झा करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्झाअल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर। </p>	